एफएसएल प्रयोगशाला के लम्बित प्रकरणों का रिकार्ड निस्तारण
10 हजार 840 प्रकरणों को निस्तारण : ऐतिहासिक कार्यवाही

–गृहमंत्री

जयपुर 11 सितम्बर। गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने गत वर्ष में एफएसएल प्रयोगशाला के इतिहास में पहली बार रिकार्ड 38 हजार 578 प्रकरणों के निस्तारण पर अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि कहा कि वर्ष के प्रारंभ में 10 हजार 840 प्रकरण लम्बित थे, उनमें से 6 हजार 602 शेष रहे, जो सभी वर्ष 2016 के हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 के सभी प्रकरण शून्य हो गये हैं।

श्री कटारिया बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 2016 के शेष लम्बित प्रकरणों को भी मार्च, 2017 तक निस्तारण करने की कार्ययोजना तैयार करें। राज्य सरकार की मंशा है कि लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिये एक विशेष अभियान चलाया जाये।

उन्होंने कहा में प्रयोगशाला को अत्याधुनिक उपकरणों को स्थापित करने की कार्यवाही में भी तेजी लाई जाये और ''एडवांस्ड सेन्टर फॅर साइबर फोरेसिंक्स''को स्थापित करने की कार्यवाही भी प्राथमिकता से करें।

गृहमंत्री ने प्रयोगशाला में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही को तत्परता से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 18 वरिष्ठ वैज्ञानिकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई तथा 10 वैज्ञानिकों की सूची प्राप्त हुई है। उन्होंने एफएसएल सेवा नियमों की समीक्षा करने पर भी जोर दिया।

श्री कटारिया ने अधीनस्थ सेवा के सीधी भर्ती एवं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त पदों की प्रक्रिया के प्रयासों में तेजी लाने पर जोर देते हुए कहा कि इन पदों के भरे जाने से प्रयोगशाला के पुनर्गठन एवं अत्याधुनिक उपकरणों की पूर्ति से लम्बित प्रकरणों को समय पर निपटाया जा सकेगा।

गृह मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने हत्या, दुष्कर्म व अन्य हिंसक वारदातों में डीएनए साक्ष्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस के लिये डीएनए परीक्षण शुल्क 20 दिसम्बर, 2016 से समाप्त कर दिया है तथा जघन्य अपराधों में जांच के नमूनों की समयबद्ध तरीके से वरियता प्रदान करते हुये, जांच अधिकतम 90 दिनों में करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं, जिससे इन अपराधों का निपटारा शीघ्र हो सके। एस.सी.आर.बी. के अधीन फिंगर प्रिंट ब्यूरो का अधिकतम उपयोग एवं सुचारू रूप से संचालन कराने हेतु एफ.एस.एल. में उपयोगिता पर भी चर्चा की गई। बैठक में बढ़ रहे डिजीटलाइजेशन एवं कैशलेश ट्रान्जेक्शन के कारण साईबर अपराधों के बढ़ने की संभावना को रोकने हेतु भी विचार किया गया।

प्रमुख शासन सचिव गृह श्री दीपक उप्रेती ने बताया कि जयपुर में स्थापित पॉलिग्राफ सेंटर में पॉलिग्राफ विशेषज्ञ की सेवाएं संविदा पर लेने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, इससे लम्बित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी आयेगी। उन्होंने बताया कि बीकानेर एवं अजमेर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के विशिष्ट डिजाइन के भवनों का निर्माण निरंतर जारी है, एवं शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है।

इस अवसर पर शासन सचिव गृह श्री सुवीर कुमार, गृह मंत्री के विशिष्ठ सहायक श्री महेन्द्र पारख, संयुक्त शासन सचिव श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी व निदेशक बी.बी.अरोरा व उप निदेशक श्री गिरीश माथुर भी उपस्थित थे।

बैठक में एफएसएल के निदेशक श्री बीबी अरोरा ने एफएसएल प्रयोगशाला के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर के जैविक अनुभाग में दिसम्बर, 2016 तक के सभी प्रकरणों का निस्तारण कर जीरो पेंडेंसी कर ली गई है। उन्होंने आश्वस्त भी किया कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि मार्च, 2016 तक वर्ष 2016 के सभी प्रकरणों का निस्तारण हो जाये।

———